

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति **भूनपद्मलक्षणमें पी०एम०डी० रुक्तवादी मैजन आनंदन सरना-अल्लौही**
 (i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र **कर्नाटक ४.२४६ हेक्टर**
- (ii) जिला **कर्णाटक**
- (iii) जिला वन प्रभाग **भूलक्षण वनप्रभाग भूलक्षण**
- (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **४.२४६ हेक्टर**
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः **सिविल एवं औद्योगिक वनप्रभाग**
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यूहा **वीडु वृक्ष**.
- (i) वन का प्रकार **ओपन फॉरेस्ट**
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व **०.१**
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और शिराएँ जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना **संलग्न है**.
- (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा **कोई नहीं**
19. भूषण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की खालाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि **झूँझारण की उपकारना नहीं**
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी **५.०० किमी**
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा **विचेष्ट नहीं**
- (i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यूहा **भृष्टवृष्णि वन्य जीव नहीं**। सामा-दाढ़ी-ब-दर-लंगूर-लादि
- (ii) वया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोशीडॉर वन्यजीव अत्यवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) **नहीं**
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) **नहीं**
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) **नहीं**
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जरुर के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बौरे **नहीं**
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुश्टत्वात्मक या विसासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संसारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संक्षम प्राधिकारी से अनापति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यूहा दें) **नहीं**
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणिया दें **कोई नहीं**
- (i) क्या भाग- 1 के पैश 6 और पैश 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **अफिछन्ह एवं स्वनतम वन अभी है**
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। **हाँ**
24. किए गए अतिकर्मण के बौरे :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकर्मण में किसी कार्य को किया गया है **हाँ/ नहीं**
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकर्मण में अंतर्विलित वन भूमि, अतिकर्मण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकर्मण के बौरे और अतिकर्मण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **नहीं**
- (iii) क्या अतिकर्मण में कार्य अब भी प्रगति में है **हाँ/ नहीं**
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः **सिविल एवं औद्योगिक वनप्रभाग**
- (ii) अवस्थिति, सर्वक्षण या कम्पार्टमेंट या खासरा सख्ता क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यूहे हैं। **सिविल एवं औद्योगिक वनप्रभाग**
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **हाँ**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों का वर्णनयन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौंसलग्न हैं।
(हा/नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय ~~संलग्न~~

(vi) वया क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचान लिए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सदृश उपबन संक्षक से प्रमाण—पत्र सलग्न हैं। (हा/नहीं)

26. वनस्पति और जीव जरुर पर प्रस्तावित कियाकलापों के समर्थात सा समर्थित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में जान वाले द्वारा वन संरक्षक वीर साल निश्चय शिपोर्ट सलग्न है। (हा/नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक वीर विनिर्दिष्ट सिफारिश।

स्थान - ~~नगर नियमित~~

तारीख 11-01-2019

4.28.64 का अमीलालज की दीक्षिति

~~संस्कृति की जानी~~

(प्रवीण चूमर)

हस्ताक्षर तारीख 11-01-2019

प्रभागीय वनाधिकारी

मल्लोडा वन प्रभाग अहमोहा